

**राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)**

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 93.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (समूह 'घ' कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) (बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

**3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद	52* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-1 (रु.18,000-56,900)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि हो
(6)	(7)	(8)	(9)
आयु 18 और 25 वर्ष के बीच <b>टिप्पण 1:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम,	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अथवा	लागू नहीं होता	दो वर्ष

जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पाँगी उप-खण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। <b>टिप्पण 2:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र		
--	--	--	--

भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नत या प्रतिनियुक्त या आमेलित किया जाना है	अगर विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसका संघटन क्या है	वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	<b>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं:</b> निदेशक (प्रशा.)/उप सचिव (प्रशा.) – अध्यक्ष संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार – सदस्य अवर सचिव/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/04/2016-प्रशा. III]

गुलबीना बधान, अवर सचिव

**टिप्पण :** अब से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में पूर्ववर्ती समूह 'घ' कर्मचारिवृंद को बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद के रूप में जाना जाएगा।

## NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 21st March, 2018

**G.S.R. 93**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Group 'D' Staff) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog) (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,-

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	52* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -1 (Rs. 18000-56900)	Not applicable

Age-limits for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years of age. <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). <b>Note 2:</b> In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation pass or equivalent from a recognised Board  or Industrial Training Institute pass Certificate from a recognised institute	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Direct Recruitment	Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation.</b> Director (Administration)/ Deputy Secretary (Administration) - Chairman Joint Adviser/ Deputy Adviser - Member Under Secretary/ Senior Research Officer - Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/04/2016-Adm.III]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

**Note:** The erstwhile Group 'D' staff in National Institute for Transforming India (NITI Aayog) shall henceforth be known as Multi Tasking Staff.

### विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 94.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' पद हिंदी शाखा) भर्ती नियम 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' पद हिंदी शाखा) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह 'क' पद हिंदी शाखा) भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

**"2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान .—**पद संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या इससे संबंधित वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. उक्त नियम की अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 1 में, 'संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा)' के पद के सामने,-

(ग) स्तंभ (4) में,

अ. शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1";

आ. विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14, 144200-218200 रु.।";

(घ) स्तंभ (11) में, -

अ. उपशीर्ष 'प्रोन्नति' के अधीन,-